राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

(अपील संख्या–686 / 2025)

श्री भगवान —**अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त आयुक्त सह संयुक्त शासन सचिव (प्रथम), ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद हनुमानगढ़।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिलीबंगा, हनुमानगढ़।

—**प्रत्यर्थीगण**

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 15.07.2025
आदेश की दिनांक : 22.07.2025

उपस्थित :–
प्रार्थी–अपीलार्थी की ओर से : श्री दीपक पारीक, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में कनिष्ठ सहायक के पद पर ग्राम पंचायत उमेवाला, पंचायत समिति, पिलीबंगा, हनुमानगढ़ में कार्यरत है। अपीलार्थी ने इस अपील में प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 04.06.2025 को चुनौती दी है, जिस आदेश के द्वारा अपीलार्थी के संबंध में पूर्व में पारित आदेश दिनांक 15.01.2025 को निरस्त करते हुए अपीलार्थी को उसके मूल पदस्थापन स्थान जिला परिषद, जोधपुर में ही पदस्थापित किया गया है।

3. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 31.10.2022 के आदेश द्वारा वर्ष 2013 की भर्ती के अनुसरण में कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु 2022 में प्रतिक्षा सूची के द्वारा हुई थी, जिसके द्वारा अपीलार्थी को पंचायत समिति, बाप में पदस्थापित किया गया (अनुलग्नक–1 व 2)। इसके पश्चात आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी का कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन पंचायत समिति, बाप से पंचायत समिति पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ में किया गया, जिसके पश्चात आदेश दिनांक 20.01.2025 (अनुलग्नक–4) के द्वारा अपीलार्थी को ग्राम पंचायत, उमेवाला में पदस्थापित किया गया। ग्राम पंचायत उमेवाला में अपीलार्थी की सेवाएं संतोषजनक रही है। जिसके संबंध में प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है (अनुलग्नक–5)। आलोच्य आदेश दिनांक 04.06.2025 (अनुलग्नक–5) के द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने अपीलार्थी के पदस्थापन/स्थानांतरण के संबंध में पूर्व में पारित आदेश दिनांक 15.01.2025 की क्रियान्विति निरस्त करते हुए अपीलार्थी को पुनः पंचायत समिति, बाप जिला परिषद, जोधपुर में लगाया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी ने अपने पदस्थापन को देखते हुए अपने बच्चों का दाखिला पीलीबंगा के किसी विद्यालय में करवाया था। अपीलार्थी के पिता हृदय रोग से पीड़ित है, जिनकी सर्जरी हुई है एवं वर्तमान में ईलाज जारी है। उनकी देखभाल की जिम्मेदारी अकेले अपीलार्थी पर है। अपीलार्थी का आगे यह कथन रहा है कि राज्य सरकार ने दिनांक 15.01.2025 तक स्थानांतरण पर प्रतिबंध हटाया था एवं दिनांक 15.01.2025 के बाद पुनः स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है। आलोच्य आदेश दिनांक स्थानांतरण पर प्रतिबंध की अवधि में जारी किया गया है, जो नियम विरूद्ध एवं अवैध है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रकरण एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10490/2024 डॉ. महेश कुमार पंवार बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 09.09.2024 में यह माना है कि स्थानांतरण प्रतिबंध अवधि में सक्षम स्तर से स्वीकृति के बाद ही स्थानांतरण आदेश पारित किया जा सकता है।

4. अपीलार्थी का आगे कथन है कि आदेश दिनांक 04.06.2025 पारित करने के लिए अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रथम) सक्षम नहीं है। धारा 89(8)ए के अनुसार, वह पहले से जारी आदेश को रद्द नहीं कर

सकते। किसी आदेश को रद्द करना तभी स्वीकार्य है, जब वह आदेश 1994 के अधिनियम की धारा 89 की उपधारा 8 के अंतर्गत जारी किया गया हो। इस संबंध में अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के प्रकरण एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11529/2021 अनुसूईया बिश्नोई बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 03.09.2021 (अनुलग्नक–10) की प्रति प्रस्तुत की है, जिस निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने यह माना है कि स्थानांतरण आदेश जो निष्पादित किया जा चुका हो, को रद्द, परिवर्तित या संशोधित नहीं किया जा सकता है।

5. अतः अपीलार्थी के संबंध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 04.06.2025 (अनुलग्नक–6) को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी को पंचायत समिति, पीलीबंगा में पदस्थापित रखा जावे।

6. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन कर मनन किया।

7. आलोच्य आदेश दिनांक 04.06.2025 (अनुलग्नक–6) द्वारा अपीलार्थी के संबंध में पूर्व में जारी कार्यव्यवस्थार्थ आदेश दिनांक 15.01.2025 को निरस्त किया गया है। आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–3) द्वारा अन्य कार्मिकों सहित अपीलार्थी को कार्य व्यवस्थार्थ मूल पदस्थापन स्थान से अन्य स्थान पर लगाया गया है। जिसमें अपीलार्थी को पंचायत समिति बाप जिला जोधपुर से पंचायत समिति पीलीबंगा जिला हनुमानगढ कार्य व्यवस्थार्थ लगाया गया है। सेवा नियमों में कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन का कोई प्रावधान नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के द्वारा प्रकरण डॉ. कैलाश चन्द्र गुर्जर बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य नामक एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 7341/2017 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 14.09.2017 में उसे नियम–विरूद्ध माना हैै, जो कि निम्न प्रकार है :–

> *"Impugned order dated 24.05.2017 does not bring out whether the petitioner is being transferred from the current place of posting to the Primary Health Centre, Koliyari District Udaipur. The order records it to be a case of working arrangement. What does that mean is not clear. Should the respondents in the exigency of service require a person to be posted at a particular hospital or a*

dispensary, the order must bring out that the order is a transfer order.

The reason is that when a government servant is transferred he is entitled to a transfer allowance. He is entitled to avail a period to join at the place of transfer after being relieved from current place.

I dispose of the petition quashing the impugned order dated 24.05.2017, operation whereof was stayed by this Court.

I clarify, the Respondents would be free to pass a proper order should one be passed against the petitioner."

8. साथ ही राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 290 के परन्तुक में मंत्रालयीक कर्मचारियों के जिले के बाहर स्थानांतरण/पदस्थापन पर रोक है। नियम–290 के परंतुक के अनुसार

"Provided that the employees of posts specified in clause (i) and (iv) of sub-section(2) of Sectio 89 of the Act, shall not be transferred outside the district in which they were appointed."

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 89(2) के Clause (iv) में मंत्रालयिक कर्मचारियों का अंकन है। इस प्रकार आलोच्य आदेश द्वारा राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाकर कार्यव्यवस्थार्थ को निरस्त किया है। अतः उसमें हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार नहीं है।

9. अतः अपील सारहीन एवं आधारहीन होने के आधार पर खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य